

(2)

**फार्म**

**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... **शशिभा** ... **वार्ड** ... **डे.ओ.डी.ओ. / ए.डी.ओ. सहा.**
2. वर्तमान धारित पद ...
3. वर्तमान वेतन **54,100 रु. D.A.** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१/०७/२०२०** ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभूक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	अज्ञेय

हस्ताक्षर ... **16/01/2020**  
 नाम ... **शशिभा वार्ड**  
 पद ... **डे.ओ.डी.ओ. / ए.डी.ओ. सहा.**  
 विभाग ... **म.उ. ऊर्जा विभाग भगत नारायण**

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिस्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या अन्य धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकेमुभी-2 अससप्रति-14-2-2001-5,000.

*(Handwritten signature)*  
**ASAP**